

धनबाद, दिनांक 11.03.2021

सं० आरटीआई०/पॉलीसी/सेक्शन-4/21

सर्व संबंधित शाखा अधिकारी (धनबाद मंडल)
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

विषय - Third party audit of contents of information being proactive disseminated/uploaded on the website by the public authorities under section 4 of RTI Act - 2005

संदर्भ - (1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं० RTI Cell/2020/SEC.4/Nodal Officer, New Delhi dt 08.06.2020

(2) वरीय सहायक उप महाप्रबंधक सह एसीपीआईओ, महाप्रबंधक (प्रशासन)पू०म०रे०/हाजीपुर का पत्रांक ईसीआर/एडीएम/आरटीआई०/सीआईसी ट्रसपेरेंसी ऑडिट/2021, दिनांक 02.03.2021

उप महाप्रबंधक (सा०) एवं नोडल अधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर का पत्रांक ईसीआर/एडीएम/आरटीआईएक्ट 2005/पॉलीसी/2020 दिनांक 03.07.2020 के द्वारा, आरटीआई० एक्ट के धारा - 4 का अनुपालन के संबंध में, धनबाद रेल मंडल में, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था। उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय का पत्र सं० आरटीआई०/पॉलीसी/नोडल अधिकारी/2020 दिनांक 14.07.2020 के तहत, धनबाद रेल मंडल में, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) को नोडल अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, धनबाद नामित किया जा चुका है।

संदर्भित पत्र (2) वरीय सहायक उप महाप्रबंधक सह एसीपीआईओ, महाप्रबंधक (प्रशासन)पू०म०रे०/हाजीपुर का पत्रांक ईसीआर/एडीएम/आरटीआई०/सीआईसी ट्रसपेरेंसी ऑडिट/2021, दिनांक 02.03.21 एवं संलग्न अनुलग्न इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, (छायाप्रति संलग्न) जिसके अनुसार माननीय सीआईसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आरटीआई० एक्ट 2005 के धारा 4 का सभी पब्लिक ऑथोरिटी में अनुपालन हो रहा है, इसके लिए Third Party Audit कराया जाय। इसके अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा National Academy of Indian Railways, (NAIR) Vadodara, को नामित किया गया है। उक्त आरटीआई० एक्ट 2005 के धारा - 4 की छायाप्रति हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

सभी शाखा अधिकारियों/सीपीआईओ/पीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी से पुनः अनुरोध है कि आरटीआई० एक्ट, 2005 की धारा 4 का अनुपालन करते हुए एक्ट में वर्णित सभी विवरणी अपने विभाग के पोर्टल पर upload करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय एवं उसका लिंक एक सप्ताह के अंदर कार्मिक विभाग के आरटीआई० सेल में उपलब्ध करायी जाय, ताकि लिंक की सूचना मुख्यालय (हाजीपुर) के माध्यम से रेलवे बोर्ड/माननीय सीआईसी महोदय को अवगत कराया जा सके एवं Third party audit सुनिश्चित किया जा सके।

Signed by C S Azad

Date: 11-03-2021 14:00:51

Reason: Approved

(सी०एस०आजाद)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

- प्रतिलिपि - (1) वरि० सहायक उप महाप्रबंधक सह एसीपीआईओ, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर को संदर्भित पत्र (2) के आलोक में सादर सूचनार्थ।
(2) मुख्य कार्यालय अधीक्षक (सा०) को मंडल रेल प्रबंधक, महोदय को सादर सूचनार्थ।
(3) अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा)/धनबाद को सादर सूचनार्थ।
(4) अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) सह नोडल अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, धनबाद को सादर सूचनार्थ।
(5) सहायक कार्मिक अधिकारी - I, II, III एवं IV - धनबाद को सादर सूचनार्थ।
(6) विधि अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, धनबाद को सादर सूचनार्थ।

MC